ई-बिज़ मिशन मोड परियोजना - एक सिंहावलोकन

1. प्रस्तावना

27 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक ई-परियोजना राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनइजीपी) के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

इ-बिज़ एक रूपान्तरणकारी परियोजना है जो ई- शासन को ऑन-लाइन कार्य-संपादनों से आगे सम्पूर्ण व्यापार जीवनचक्र में निवेशकों और व्यापार व्यवसायों को सेवा प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण को रूपान्तरण की ओर ले जाती है ।

2. सामयिक परिदृश्य

नया व्यापार शुरू करने अथवा एक नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार से संबंधित विभिन्न स्तरों पर बहुल सरकारी एजेंसियों से विविध लाइसेंसों/अनुमोदनों और संबंधित सेवाओं की अपेक्षा होती है । इन सेवाओं के बारे में सूचना, बहुल अधिनियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं में बंटी हुई तथा संबंधित बहुल वैबसाइटों में बिखरी पड़ी होती है ।

परिणामस्वरूप एक सामान्य निवेशक द्विविधाग्रस्त हो जाता है तथा यह नहीं समझ पाता कि शुरूआत कहां से करें और मार्गदर्शन के लिए बिचौलिए पर निर्भर हो जाता है ।

कामगारों की सं0>20?		जोखिमपूर्ण अवशिष्ट अनुमोदन
स्थल नक्शे पर अनुमोदन	पूंजी>20लाख	
क्षमता>22.5लीटर?	सीवरेज कनेक्शन	
	स्थापित करने हेतु सहमति	
	करोबार>40लाख	
	अंतर्राज्यीय बिक्री?	
अनापत्ति प्रमाणपत्र	अनापत्ति प्रमाणपत्र	वैट पंजीकरण
फैक्ट्री लाइसेंस	उत्पाद शुल्क पंजीकरण	
विद्युत उपभोक्ता?	कामगार >50	सीएसटी पंजीकरण
नया विद्युत कनेक्शन		औसत मजदूरी>1600?
कारपोरेशन की सीमा में		अग्नि सुरक्षा अनुमोदन
जल कनेक्सन	निवेशक	
विद्युत क्षमता>30एचपी?	निवेशक<5करोड़?	व्यापार लाइसेंस
दूकानें और स्थापना पंजीकरण		ठेके वाले कामगार
बॉयलर पंजीकरण	एनआईसी 98 कोड्स?	एमएसएमई पंजीकरण
	प्रचालन सहमति	
बॉयलर पंजीकरण		अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार

विविध/बँटी हुई सूचना संबंधित बहुल वैबसाइटों/कार्यालयों में फैली होती है । सामान्य निवेशक दुविधाग्रस्त हो जाता है और उसे यह नहीं सूझता कि कहां से शुरूआत की जाय । मार्गदर्शन के लिए बिचौलिए पर निर्भर जो जाता है ।

अप्रत्यक्ष खोज-बीन और बिचौलिए के माध्यम से संगत सूचना प्राप्त करने के पश्चात निवेशक को बहुल सरकारी एजेंसियों के साथ अनेकों बार लम्बी बातचीत शुरू करनी पड़ती है । प्रत्येक सेवा के अनुमोदन हेतु एजेंसी के साथ अनेक बार बातचीत की अपेक्षा होती है तथा प्राय: उस विभाग के कार्यालयों में जाना पड़ता है । व्यापार प्रयोक्ता को संबंधित एजेंसी के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सेवा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है तथा एजेंसी द्वारा अधिकृत सीमित बैंकों के माध्यम से भुगतान करना होता है । यहां तक कि संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑन लाइन चैनलों के बावजूद भी व्यापार प्रयोक्ता को अधिकतर समान सूचना आवृती ढंग से बार-बार प्रस्तुत करनी पड़ती है ।

व्यापार के लिए अवसर और अनुपालन लागतें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुल एजेंसियों से संपर्क करने में लगाया गया समय और प्रयास अन्य व्यापार-संबंधी गतिविधियों पर लिए जा सकते हैं ।

सांविधक अनुमोदन

1. अनापत्ति प्रमाणपत्र
2. उद्यमी ज्ञापन
3. व्यापार लाइसेंस
4. स्थल नक्शा अनुमोदन
5. स्थापना सहमति
6. अनापत्ति
7. वैट पंजीकरण और कर छूट
8. उत्पाद लाइसेंस
9. अनापत्ति प्रमाणपत्र
10. भेषज लाइसेंस
11. जल आपूर्ति
12. सीवरेज
13. नया विद्युत करनेक्शन
14. अग्नि सुरक्षा कनेक्शन
15. फैक्ट्री लाइसेंस

प्रचालन हेतु सहमति

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	उद्योग	श्रमिक
नगरपालिका प्राधिकरण निगम		औद्योगिक
अग्नि सेवा	निवेशक	आईडीसी
डिस्कॉम		वाणिज्य कर
जल एवं सीवरेज बोर्ड	भेषज नियंत्र	उत्पाद

लगभग 6 महीने के पश्चात और किसी विभाग में 20 बार जाने के बाद निदेशक 16 अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करता है ।

<u>यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रक्रिया समय-साध्य, खर्चीली और बोझिल है ।</u> इसके परिणामस्वरुप विश्व बैंक के व्यापरकर्ता श्रेणी के व्यापार संकेतक के अनुसार व्यापार शुरु करने के लिए भारत का स्तर 183 से गिरता हुआ 165 में पहुंच गया हे । भारत का स्तर, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दि हैरिटेज फाउण्डेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता के व्यापार स्वतंत्रता संकेतक की सूची में भी 183 में से गिर कर 124 पर आ गया है ।

यह स्थिति, निकटतम स्तर पर नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए रुपान्तरणकारी पहल हेतु कार्रवाई करने का स्पष्ट संकेत है ।

• समेकित सूचना की कमी ⊗ बिचौलिए पर निर्भरता ⊗ स्पष्ट लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताओं के निर्धारण ⊗ सेवा कैसे प्रदान की जाएगी ऐसी जानकारी की कमी • अनुक्रम में व्यक्तिगत रुप से सेवाओं के लिए आवेदन करने की अपेक्षा ⊗ बहुल आवेदन फॉर्म और भुगतान ⊗ अन्तरविभागीय निर्भरताओं के कारण बिलंब • समेकित ऑन लाइन प्लेटफॉर्म का अभाव ⊗ विविध विभागों में अनेकों बार जाने की अपेक्षा ⊗ सामंजस्य की कमी ⊗ स्थिति पर निगाह हेतु पारदर्शिता की कमी	<u>समयसाध्य खर्चीला और बोझिल</u>

परिणाम

- विश्व के व्यापारकर्ता श्रेणी में देश का गिरता स्तर व्यापार शुरु करने में **--183** में **165** व्यापार करने में सुगमता-- **183** में **124**

3. वैब शासन प्रवृत्ति एवं उत्तम बद्धतियाँ

साहित्य में सभी वैब शासन पूर्णता वाले मॉडल, नागरिकों पर केन्द्रित समेकित सेवा सुपुर्दगी मॉडल की ओर बढ़ने की सिफारिश करते हैं । उदाहरणार्थ गार्टनर का फोर फेज़ ऑफ ई- शासन मॉडल, एक रुपान्तरणीय चरण की ओर ई- शासन की प्रगति को दर्शाता है **<u>जहां सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी को संघटकों से संपर्क का एकल बिंदु प्रदान करने के द्वारा पुनर्भाषित किया गया है, जो नागरिकों के लिए सरकारी संगठन को पूर्णत: पारदर्शी बनाते हैं[1]।</u>** सरकारी रुपान्तरण में डिज़ाइन ऑफ एक्सट्रानेट्स जो संघ राज्य और स्थानीय शासन एजेंसियों के बीच सूचना के मुक्त प्रवाह और सहयोगी निर्णय को सुगम बनाते है, भी शामिल होंगे ।

[1] गार्टनर का फोर फेज ऑफ इ-गवर्नमेंट मॉडल-द्वारा गार्टनर रिसर्च-(प्रकाशन आईडी सं0- टीयू-12-6113)

□ कार्यनीति/नीति जनता प्रक्रिया प्रौद्योगिकी			रुपान्तरण वित्त व्यवस्था प्रवाह आबंटन एजेंसी पहचान बिग ब्राऊज़र
		सम्पादन प्रतियोगिता गोपनीयता/निजता सम्पादन फीस ई-अधिप्रमाणन	कार्य ढांचा पुन:स्थापन/टेलिकॉम संगठन कार्य निष्पादन उत्तरदायित्व निजता में कमी बहुल कार्यक्रम कौशल समेकित सेवाएं परिवर्तित महत्व शृंखला नई व्यापार प्रक्रियाएं/सेवाएं संबंध परिर्तन (जी2जी, जी2बी, जी2सी, जी2ई)
	सहक्रिया/बातचीत सूचना की फीस जनता की प्रतिक्रिया	कौशल परिवर्तन स्वयं सेवा पोर्टफोलियो प्रबंधन स्रोत जुटाना व्यापार स्टाफ में वृद्धि	
उपस्थिति सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमोदन स्टाफ	सामग्री प्रबंधन सहायता वृद्धि स्टाफ शासन	व्यापार प्रक्रिया पुन:निर्माण संबंध प्रबंधन ऑन लाइन इण्टरफेस चैनल प्रबंधन	
विद्यमान स्टाफ			
सरलीकरण प्रक्रिया	जानकारी प्रबंधन ई.मेल सामग्री प्रबंधन मेटाडाटा द्वारा समानता		
वैब साइट ऑन लाइन सामग्री	खोज ई-मेल (एस/आर)	सुरक्षा के साथ लिगेसी समकालिकता सूचना हेतु पहुंच संचार नेटवर्क की सुनिश्चितता 24x7 अवसंरचना	नये अनुप्रयोग नये आंकड़े संरचनाएं नये मानक नया इण्टरफेस

स्रोत: गार्टनर शोध

आकृति 1 गार्टनर का फोर-फेज़िज़ का ई-शासन

समान लाइन पर लाइनें और ली का चार-चरण मॉडल, सरकारी एजेंसियों के विकास को एजेंसी शामिल होने और कार्यात्मक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया तथा ग्राहक अपेक्षाओं के कारण प्राकृतिक प्रगति के रुप में देखता है । इन चार अवस्थाओं की प्राप्ति से नागरिकों के लिए बाज़ार का एक कदम दूरी पर होना इसमें उपलक्षित होगा ।

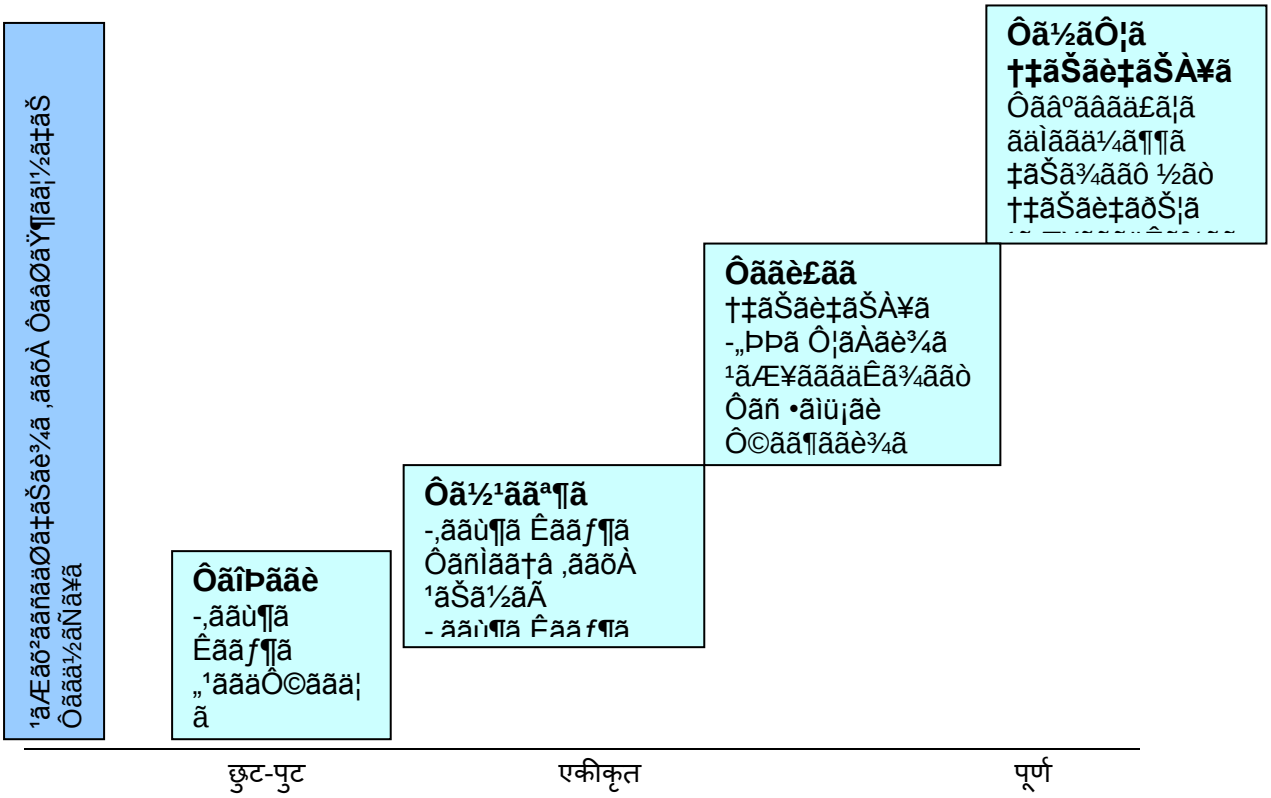

आकृति 2 लेन और ली का फोर-स्टेज मॉडल

भारत में ई-शासन इन विकासात्मक चरणों के माध्यम से है- एक विभागीय सूचना पोर्ट की साधारण शुरुआत से आरंभ करते हुए कार्य सम्पादन चरण के माध्यम से सूचना प्रणालियां विकसित की गयी हैं जहां एमसीए 21, एसीईएस, ई-फाइलिंग, पंचशील आदि जैसे फ्लैगशिप परियोजनाओं के माध्यम से लगभग सभी मुख्य विभाग /मंत्रालय ऑन लाइन सेवाओं का प्रस्ताव कर रही हैं । भारत के लिए कि **समस्तर एकीकरण और नागरिक उन्मुखी सेवा सुपुर्दगी मॉडल की ओर रुपान्तरणीय परिवर्तन का यह उपयुक्त समय है ।**

उपर्युकत प्रवृतियों और परिपक्वता मॉडलों पर केवल सैद्धान्तिक संकल्पनाएं नहीं है अपितु इन पर शैक्षणिक साहित्य में विचार-विमर्श हुआ है । **विश्व भर में देशों ने नागरिक उन्मुखी सेवा सुपुर्दगी मॉडल हेतु विभाग उन्मुखी दृष्टिकोण से रुपान्तरण की शुरुआत कर दी है ।**

क. सिंगापुर सरकार की ऑन'-लाइन व्यापार लाइसेंस वाली सेवा (ओबीएलएस) एक एकल ऑन लाइन सम्पादन में सिंगापुर सरकार के लिए अपेक्षित सभी लाइसेंसों के लिए आवेदन करने हेतु व्यापारियों के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है । यह प्रणाली संसाधन हेतु विभिन्न सरकारी एजेसियों के लिए सभी आवेदनों का प्रवेश मार्ग है । ओबीएलएस व्यापारों को एक ऑन-लाइन सम्पादन[2] में 17 सरकारी एजेंसियों द्वारा 80 ऑन लाइन व्यापार लाइसेंसों के सूट से किसी संयोजन में आवेदन, अद्यतन, नवीकरण अथवा समाप्ति को अनुमेय करता है । काउण्टरों में गये ओबीएलएस सेवा प्रदान करता है । 31 दिसम्बर, 2006 को किए गए लागत-लाभ मूल्यांकन पर आधारित व्यापार 27 मिलियन यूएस डालर की अनुमानित लागत बचतों के साथ ओबीएलएस परियोजना से लाभान्वित हुए हैं(जनवरी, 2004 में पायलट

[2]http://www.egov.gov.sg/egov.programmes/programmes-by-businesses/obls

प्रारंभन से) । सिंगापुर व्यापार करने की सहजता में विश्व बैंक को श्रेणी एक पर तथा व्यापार शुरु करने के संकेतक में चौथे स्थान पर है ।

ख. यूके सरकार का बिज़नेस लिंक 2007 से व्यापारों के लिए सरकार का ऑन लाइन संसाधन रहा है । इसके ऑन लाइन सेवा सुपुर्दगी कार्यनीति[3] के हाल की पुनरीक्षा के पश्चात सरकार ने नागरिकों और व्यापारों के लिए क्रास सरकारी समाधानों के शासनादेश के लिए साधनों के साथ सभी विभागों के सम्पादनीय ऑन लाइन सेवाओं के लिए सरकार के फ्रंट-एंड हेतु सीधे डायरेक्टगोव बनाने के लिए सिफारिशें स्वीकार की हैं । नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के अलावा इस युक्ति में 1.3 बिलियन पौंड से अधिक समग्र वार्षिक बचतें प्रदान करने की संभावना है । मंत्रिमंण्डल कार्यालय से विशिष्ट निर्देशों पर विजनेस लिंक वैबसाइट को नवम्बर, 2011 से डायरेक्टगोव के साथ मिला देना तय किया गया है । एक संबंधित पहल में जनवरी, 2010 सरकार ने अपने 1700+वैब साइटों में से 907 से अधिक को समेकित किया था तथा और 479 वैब साइटों को समेकित करने की वचनबद्धता की है ।

ग. कनाडा सरकार का बिज़पाल 2005 से परमिटों और लाइसेंसों पर सूचना के सरकारी ऑन लाइन स्रोत रहा है । बिज़पाल को एक भागीदारी द्वारा सृजित किया गया था जिसको प्रबंधन में संघ, राज्य, क्षेत्र और और नगरपालिका स्तरों पर परमिटों और लाइसेंसों, जो किसी व्यापार को शुरु करने तथा उसे बढ़ाने के लिए अपेक्षित होते हैं, पर सूचना मुहैया कराने के लिए सरकारें शामिल हैं । इसके अतिरिक्त प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलम्बियाज़ बीसी रजिस्ट्री सर्विसेज[4] वर्कसेफ बी (लेबर) के साथ पंजीकरण, जीएसटी/एचएसटी के लिए कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के साथ पंजीकरण नगरपालिका सरकारों से वेतनसूची कटौतियां और आयात-निर्यात लेखे तथा व्यापार लाइसेंसों सहित एकीकृत व्यापार पंजीकरण मुहैया कराता है ।

घ. विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के अनुसार कैमरुन, एफवाईआर मेसीडोनिया, मैक्सिको, पेरु, स्लोवेनिया, तजिकिस्तान, वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं सहित वर्ष 2011 में 20 से अधिक अर्थ व्यवस्थाओं ने वन-स्टाप शॉप्स स्थापित की ।

<u>उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में इ-बिज़ द्वारा इस प्रकार की विचारित ऑन लाइन एकल खिड़की की अत्यंत आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है ।</u> इ-बिज़ के पूर्ण विज़न के कार्यान्वित होने पर निम्नलिखित अनुमानित लाभों के माध्यम से व्यापार वातावरण रुपान्तरित होगा:

i. बहुल लाइसेंसों के लिए एक समेकित आवेदन प्रस्तुत करने तथा विभिन्न लाइसेंसों के लिए अपेक्षित समेकित भुगतान करने हेतु उद्यमियों को समर्थ बनाने के द्वारा

[3]http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/directgov.-2010-and-beyond-revolution-not-evolution
[4]http://www.bcbusinessregistry.ca/

ii. प्रक्रियाओं की संख्या में कमी तथा व्यापार आरंभन और प्रचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लागत और समय सीमा में अनुरुपत: कमी । विश्व बैंक के एक अध्ययन[5] में समान सुधारों के प्रभाव पर निम्नलिखित लाभ अनुमानित किए गए हैं:

- प्रत्येक लाइसेंस के लिए निवेशक की औसत संभावित बचतें: 6000 रुपये से अधिक और 120 घंटे
- प्रत्येक लाइसेंस से सरकार को औसत संभावित बचतें: 4000 रुपये से अधिक और 100 घंटे

iii. विश्व बैंक के डूइंग बिज़नेस रेंकिंग पर देश की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हेतु देश को निवेशक अनुकूल गंतव्य स्थान बनाना । व्यापार पंजीकरण हेतु संयोजित सेवा के साथ वास्तव में एक समेकित एकल खिड़की से देश के व्यापार शुरु करने के 112वें स्तर में संभावित सुधार हो सकता है (50वें से भी उपर के स्थान के स्तर पर आ सकता है) ।

4. विज़न और उद्देश्य

इ-बिज़ का विज़न किसी उद्योग अथवा व्यापार एंटिटी के सम्पूर्ण जीवन-क्रम में फार्मों एवं प्रक्रियाओं, लाइसेंसों, परमिटों, पंजीकरणों, अनुमोदनों, निवासियों, अनुमतियों, रिपोर्टों, फाइलिंग, भुगतानों और अनुपालनों पर सूचना के क्षेत्र में निवेशकों, उद्योगों और व्यापारों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी तथा समेकित इलेक्ट्रानिकी सेवा मुहैया कराते हुए देश में व्यापार वातावरण को बदलना है । इ-बिज़ का सरकार द्वारा अपनी सेवा दृष्टिकोण को विभागोन्मुखी से ग्राहकोन्मुखी करते हुए व्यापारी समुदाय को सेवाएं मुहैया करने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन करने में है ।

परियोजना में निवेशकों के सुवधिाजनक और कुशल सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु वन-स्टॉप शाप के रुप में सेवा के लिए जी2बी पोर्टल स्थापित करने तथा व्यापार के समग्र जीवन-चक्र के माध्यम से शुरुआत से ही व्यापार और उद्योगों की आवश्यकाओं के लिए ध्यान देने पर विचार किया गया है ।

---

[5]स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मार्च, 2010 की राजस्थान व्यापार वातावरण सुधार रिपोर्ट द्वारा ।

इ-बिज़ विज़न "समग्र व्यापार जीवनचक्र में निवेशकों, उद्योगों और व्यापारों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी और समेकित इलेक्ट्रानिकी सेवाओं को मुहैया करते हुए देश में व्यापार वातावरण में रुपान्तरण"

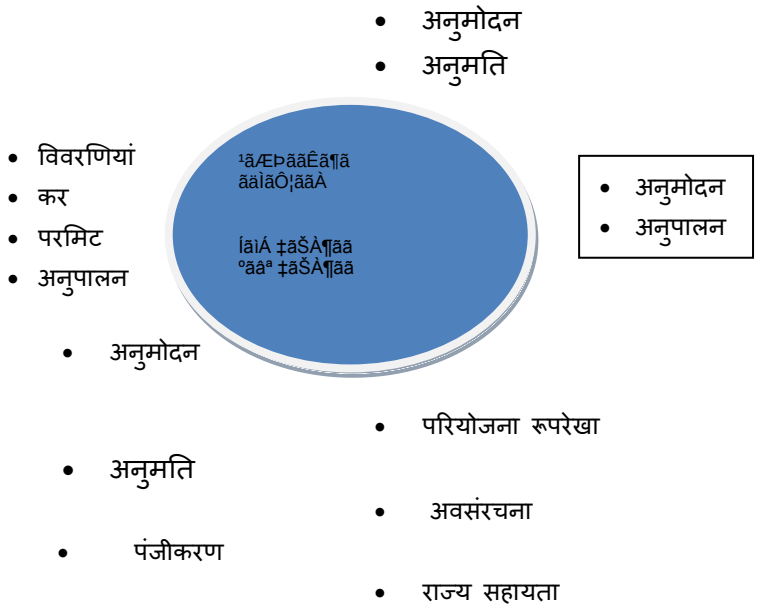

इस परियोजना के उद्देश्य हैं:

- सभी व्यापार लाइसेंसों और परमिटों के लिए एक इलेक्ट्रानिकी वन-स्टाप शॉप मुहैया करना ।
- केन्द्र, राज्य और स्थानीय शासन स्तरों पर अधिकृत विभिन्न विनियामक के साथ वास्तविक रुप से इण्टरफेस को हटाने की आवश्यकता ।
- एक एकल पोर्टल पर 24x7 व्यापार से संबंधित सभी सूचनाएं मुहैया करना; और
- एक एकल इण्टरफेस के माध्यम से विभिन्न विवरणियों के भरने, कर भुगतान और अनुपालन प्रस्तुत करने हेतु व्यापारों को अनुमेय करना ।

5. परिणाम

इ-बिज़ परियोजना के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:

- एक विश्व श्रेणी का जी2बी पोर्टल जो सभी जी2बी सहक्रियाओं के लिए एकल, सेवा उन्मुखी, घटना चालित इण्टरफेस के माध्यम से भारत की व्यापार प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करता है ।
- भारत में केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय शासन एवं सभी भौगोलिक स्थितियों में समेकित जी2बी सेवाएं ।

उपर्युक्त परिणामों से निवेशक को निम्नलिखित होंगे

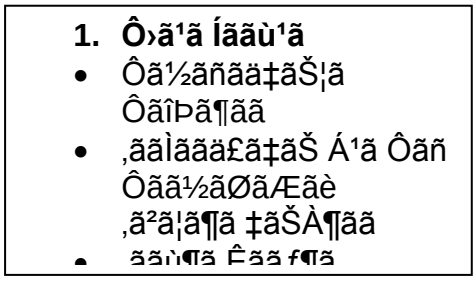

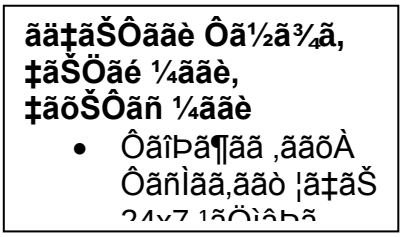

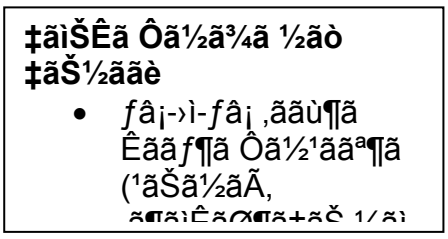

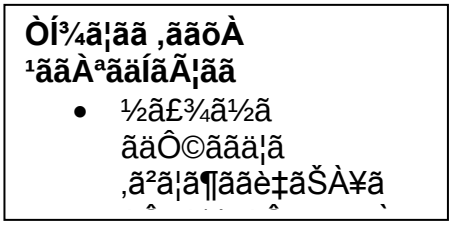

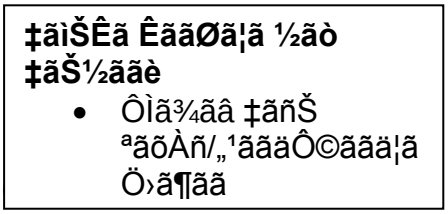

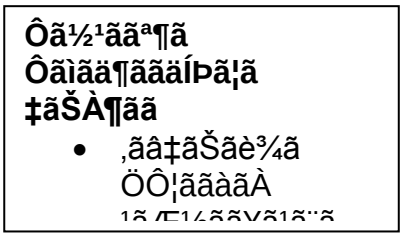

6. सेवाओं की सूची

इ-बिज़ प्रथम वर्ष के दायरे में 29 जी2बी सेवाएं- 18 केन्द्रीय और 11 राज्य/नगरपालिका सेवाएं शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	सेवा	विभाग
1	नाम उपलब्धता पत्र जारी करना	निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए)
2	निदेशक पहचान संख्या जारी करना	
3	निगम हेतु प्रमाणपत्र जारी करना	
4	व्यापार शुरु करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करना	
5	स्थायी लेखा संख्या जारी करना	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)
6	कंपनियों द्वारा विवरणी भरना(फॉर्म 1)	
7	आयकर विभाग का कर छूट लेखा संख्या	
8	उत्पाद कर पंजीकरण (फॉर्म आर 1)	
9	वस्तुओं के उत्पादन और उन्हें हटाने के लिए मासिक विवरणी भरना (फॉर्म ई.आर 1)	केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी)
10	सेवा कर पंजीकरण(फॉर्म एस टी-1)	
11	अर्ध वार्षिक सेवा कर विवरणी भरना	
12	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जारी करना	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)
13	औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	

14	आयात-निर्यात कोड जारी करना	विदेश व्यापार महानिदेशालय
15	पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु आवेदन	पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ)
16	एफसी-जीपीआर भरना (विदेशी विनियमन की रिपोर्ट देना)	आरबीआई
17	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान	ईएसआईसी, श्रम रोजगार मंत्रालय
18	कर्मचारी भविष्य संगठन में अंशदान	एसपीएफओ, श्रम रोजगार मंत्रालय
19	मूल्य वर्धित कर के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होना	राज्य वाणिज्यिक कर विभाग(सीटीडी)
20	डीलरों द्वारा विवरणी भरना	
21	औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के तहत एसएसआई का पंजीकरण	राज्य उद्योग विभाग
22	शॉप्स एण्ड इंस्टेब्लिसमेंट अधिनियम के तहत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग
23	फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस जारी करना	राज्य फैक्ट्री विभाग
24	फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत वार्षिक विवरणी भरना	
25	सम्पत्ति कर का भुगतान	नगरपालिका प्राधिकार
26	डिस्कोम से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन	राज्य विद्युत विभाग
27	लाइन प्रभार हेतु अनुमति	
28	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29	व्यावसाय कर हेतु पंजीकरण	राज्य वाणिज्यिक कर विभाग

यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में अन्य राज्यों को शामिल करने के अतिरिक्त कम से कम 21 और सेवाओं को इसमें जोड़ दिया जाएगा ।

7. ई बिज़ सक्षम प्रक्रिया

ई बिज़ का मिशन उपर्युक्त परिदृश्य का रुपान्तरण करना है तथा निवेशकों को अनेक मुख्य लक्षणों के माध्यम से जैसे लाइसेंस और परमिट सूचना विजर्ड, संयुक्त आवेदन फॉर्म और सेवा कारकों के माध्यम से संगत सूचना और सेवाओं के लिए आसान पहुंच मुहैया कराना है ।

लाइसेंस और परमिट सूचना विजर्ड

ई बिज़ लाइसेंस और परमिट सूचना विजर्ड सभी संगत लाइसेंसों, परमिटों और अन्य विनियामक सूचना के साथ उनकी व्यवहारिकता प्रक्रिया का समेकित भंडार है । ई बिज़ पोर्टल में एक "साक्षात्कार शैली" विजर्ड है जो निवेशकों को अपने व्यापार के लिए लाइसेंस

की आवश्यकता की प्राप्ति हेतु अनेक प्रश्न खड़े करता है । मुहैया उत्तर पर आधारित विजर्ड लाइसेंसों/अनुमोदनों की एक कस्टोमाइज्ड सूची जिसकी निवेशक को अपने व्यापार प्रचालन शुरु करने हेतु आवश्यकता होती है और एक विनियामक अनुपालन की सूची जिसकी उनको अपने व्यापार प्रचालन के भाग के रुप में अनुपालन हेतु अपेक्षा होती है मुहैया कराता है ।

निवेशक

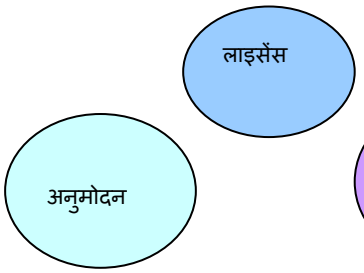

अनुमोदनों, लाइसेंसों
एवं विनियामक विवरणियों
को भरने के लिए लागू सूची

व्यापार लाइसेंस
सूचना विज़र्ड

इ बिज़ लाइसेंस सूचना विजर्ड निवेशकों को सभी सरकारी विनियामक सूचना हेतु वन-स्टॉप पहुंच मुहैया कराता है ।

संयुक्त आवेदन फॉर्म

वर्तमान परिदृश्य में निवेशक को सरकारी एजेंसियों से विभिन्न सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुल आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ती है । फार्मों के मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि आवेदक की पहचान, आवेदक/व्यापार यूनिट आदि की जनसांख्यिकीय जैसी मांगी गई सूचना में महत्वपूर्ण अतिव्याप्ति हो जाती है । ई बिज़ समान तत्वों के मेल से एक संयुक्त आवेदन फॉर्म का बहुल सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है ।

समान्य क्षेत्र

सेवा विशिष्ट फॉर्म सेवा विशिष्ट क्षेत्र संयुक्त आवेदन फॉर्म

संयुक्त आवेदन फार्म से आंकड़ों की पुनरावृत्ति और संबद्ध गलतियां/ अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा ।

संयोजित सेवा आयोजन [संयोजित सेवा आयोजन ऑर्केस्ट्रेशन]

ई बिज़ संयोजित सेवा आयोजन बहुल सरकारी विभागों के बैकएंड वर्कफ्लो को इसके तरीके से संयुक्त करता है कि एक निवेशक का एकल अनुरोध संयुक्त आवेदन फॉर्म के माध्यम से तर्कसंगत अनुक्रम में बहुल सरकारी एजेंसियों को प्रेषित होगा । इसमें निवेशक द्वारा किए गए अनुरोध को सेवाओं के मध्य स्वतंत्रत रुप से समानान्तर और अनुक्रम में पहुंचाएगा ।

नगरपालिका प्राधिकार

औद्योगिक विकास निगम

श्रम विभाग

निवेशक संयुक्त आवेदन फॉर्म ई बिज़ सेवा हेतु आवेदन

औद्योगिक विभाग

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्पाद शुल्क

भेषज नियंत्रक

F इ बिज़ संयोजित सेवा (ज्वाइंड अप सर्विस) बहुल कार्यालय आधारित विभागों के कार्यप्रवाह को जोड़ता है; मात्र एकल अनुरोध तर्कसंगत तरीके से समुचित सरकारी अप्राधिकारों को पहुंचाया जाता है ।

समाधान रुप देखा

रुपरेखा के एक उच्च स्तरीय सिंहावलोकन में कथित लक्ष्यों, जिनके आंकड़े नीचे दिए गए हैं, को प्राप्त करने के इ-बिज़ समाधान पर विचार किया गया है । समाधान के मुख्य घटक ई बिज़ पोर्टल और भागीदारी सेवा अवसंरचना में है । पोर्टल राष्ट्रीय ई- शासनसेवा सुपुर्दगी गेटवे (एनएसडीजी), जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है, के माध्यम से विभाग की प्रणालियों के साथ एकीकृत हो जाता है ।

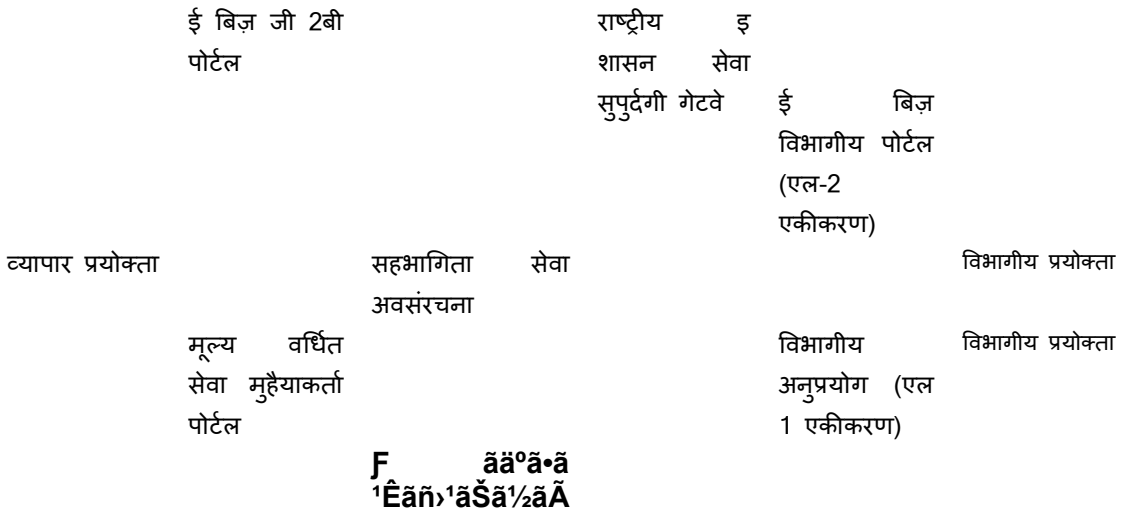

9. एकीकरण की तकनीकी वास्तुकारिता

ई बिज़ की सफलता विभागीय प्रक्रियाओं और प्रणालियों से युक्त एकीकरण पर अनुमानित है । अत: ई बिज़ समाधान विभागों में कंप्यूट्रीकरण के स्तर में विभिन्नताएं दूर करने के लिए तैयार किया गया है । विचार किए गए विभिन्न एकीकरण प्रकार इस प्रकार है:

- स्तर-1- बैंक-एंड प्रणालियों के साथ विभाग हेतु अधिकल्पित फ्रंट-एंड पर ई बिज़, बैंकएंड में विभागीय प्रणाली के साथ एकीकृत होता है ।

- स्तर-2- जिन विभागों में कंप्यूरीकरण नहीं है उनके लिए तैयार किया गया है । दोनों फ्रंट और बैंकएंड ई बिज़ पर विकसित किया जाएगा ।

एकीकरण उपर्युक्त स्तरों के अलावा ई बिज़ स्तर-3 के एकीकरण उच्च स्तर को भी परिभाषित करता है जहां मिश्रित सेवाएं बैकएंड विभागों के कार्यप्रवाह को ज्वाएंड अप द्वारा इस तरीके से तैयार किया गया है कि व्यापार प्रयोक्ता द्वारा

एकल अनुरोध किए जाने पर यह तर्कसंगत अनुक्रम तरीके से समुचित सरकारी प्राधिकारियों को पहुंचा दिया जाता है ।

स्तर **1** एकीकरण

स्तर-1 एकीकरण में उन सेवाओं पर विचार किया गया हे जहां उद्यमी के सेवा अनुरोधों को आगे बढ़ाने के लिए बैक एंड में सुव्यवस्थित आईटी प्रणाली पहले से ही मौजूद है । एल 1 एकीकरण समाधान के कार्यात्मक और तकनीकी सिंहावलोकन निम्नलिखित अनुभागों में मुहैया किए गए हैं ।

कार्यात्मक सिंहावलोकन

निम्नलिखित आकृति स्तर-1 एकीकरण का कार्यात्मक सिंहावलोकन को दर्शाता है :

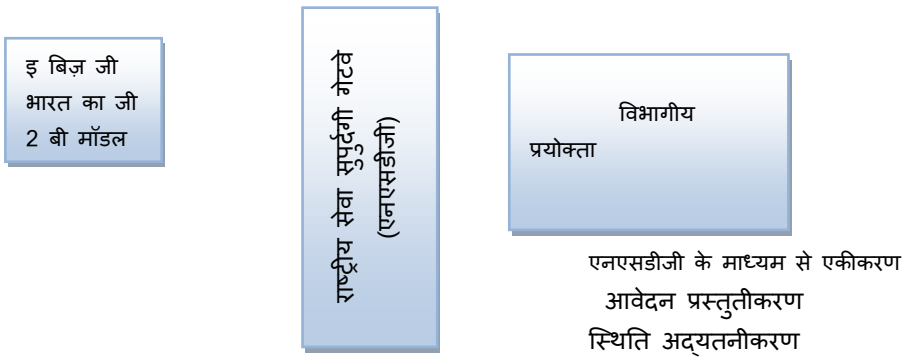

आकृति 3 एल 1 एकीकरण का कार्यात्मक सिंहावलोकन

1. उद्यमी ई बिज़ पोर्टल पर अनुलग्नकों के साथ संबंधित इ फॉर्म में किसी सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है ।

   - विभाग द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त फॉर्म को समान रुप से कार्यात्मकता हेतु ई बिज़ इ फॉर्म तैयार किया जाएगा ।

2. उद्यमी ई बिज़ पोर्टल पर सेवा से संबद्ध शुल्क को ई बिज़ पोर्टल के साथ एकीकृत एक इक्ट्रानिकी भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रेषित करता है ।
3. एक बार प्रस्तुत ई बिज़ प्रणाली फॉर्म से आंकड़े ले लेता है और एनएसडीजी के द्वारा विभागीय प्रणाली को प्रेषित कर देता है ।
4. एनएसडीजी उपयुक्त विभाग को संदेश भेज देता है ।

5. विभाग स्तर पर एक अनुप्रयोग एडॉप्टर संदेश प्राप्त कर विभागीय अनुप्रयोग आंकड़ा आधार में अनुरोध लिख देता है ।
6. विभागीय प्रयोक्ता अनुरोध को संसाधित करने के लिए विभागीय अनुप्रयोग का उपयोग करता है ।
7. जब भी स्थिति परिवर्तित होती है अनुप्रयोग एडॉप्टर एनएसडीजी के द्वारा ई बिज़ को वापस संदेश भेजता है ।

तकनीकी सिंहावलोकन

जैसा कि पूर्व अनुभाग में विवरण दिया गया है विभागीय प्रणाली के साथ एकीकरण एनएसडीजी के द्वारा होगा । निम्नलिखित अनुभागों में तकनीकी ब्यौरों का वर्णन है कि एकीकरण कैसे किया जा सकता है ।

विभागीय प्रणालियों के साथ एकीकरण अनुप्रयोग एडॉप्टर बहुल घटकों में तर्कसंगत रुप से विभक्त है । नीचे दी गई आकृति विभिन्न घटकों के माध्यम से सूचना प्रवाह को दर्शाती है ।

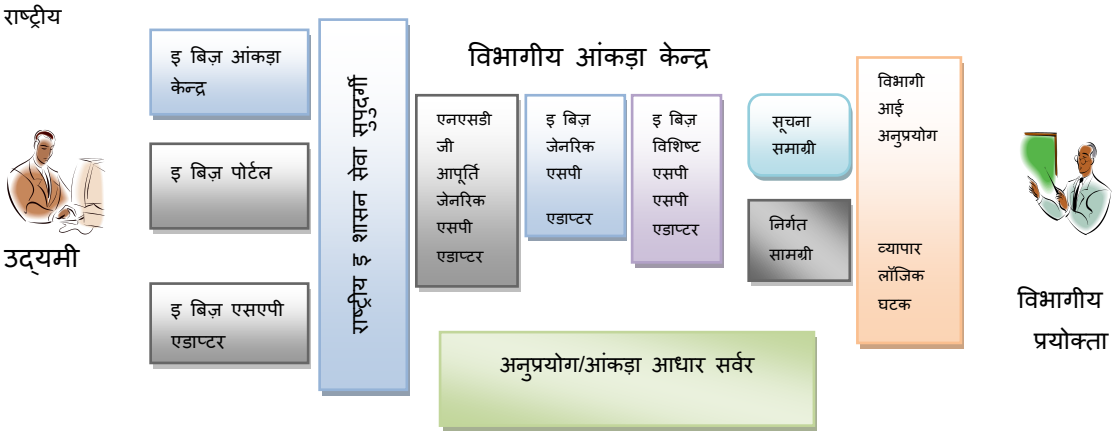

लेजेण्ड(आकार)

Êãñ•ãñ¥¡(Á¹ãÀñŒãã)

ई बिज़ द्वारा मुहैया सॉफ्टवेयर

विभाग द्वारा विकसित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर

विभाग प्रापण किया जाने वाला सॉफ्टवेयर

अतिरिक्त हार्ड वेयर विभाग द्वारा प्रापण किए जाने हेतु

विद्यमान हार्डवेयर होस्टिंग विभागीय अनुप्रयोग

आकृति 4 तकनीकी सिंहावलोकन- एल-1 एकीकरण

निम्नलिखित सारणी में एकीकरण में सहभागी प्रत्येक घटक के दायित्व का विवरण देने वाला सार

#	सामाधान घटक	विवरण
1.	ई बिज़ विशिष्ट एसएपी एडॉप्टर	यह एक ई बिज़ घटक है जिसे एनआईसी में ई बिज़ प्लेटफॉर्म घटकों के साथ-साथ होस्ट किया जाएगा । 1. अनुप्रयोग आंकड़ा अनुरोधों का रुपान्तरण और पैकेजिंग तथा स्पष्टीकरण व्यापार प्रयोक्ता द्वारा एसएपी जेनरिक एडॉप्टर का प्रयोग करते हुए आईआईएस प्रोटोकाल विनिर्देशनों के अनुपालन में एनएसडीजी द्वारा निर्धारति फार्मेट में ई बिज़ पोर्टल में प्रस्तुत किया जाएगा । 2. यदि अनुप्रयोग का आकार एनएसडीजी के प्लेलोड आकार सीमा में डालने के लिए 2 एमबी से बड़ा होता है तो यह घटक एनएसडीजी को भेजने से पूर्व छोटे-छोटे भागों में विभक्त हो जाता है । 3. विभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियमित अंतरालों में एनएसडीजी को पोल करना 4. विभाग से प्राप्त प्रतिक्रिया को संसाधित कर इसे ई बिज़ पोर्टल में भेजना
2	एनएसडीजी आपूर्ति एसपी जेनरिक एडॉप्टर	एनएसडीजी द्वारा आपूर्तित इस घटक को एनआईसी में ई बिज़ प्लेटफॉर्म के साथ होस्ट किया जाएगा । यह घटक आईआईएस/आईआईपी निर्धारित फार्मेट में पेलोड के लिए उत्तरदायी है तथा पे लोड को एनएसडीजी में भेजने के लिए जोड़ता है और एनएसडीजी में उपलब्ध प्रतिक्रिया हेतु पोल करता है ।
3.	एनएसडीजी आपूर्ति एसपी जेनरिक एडॉप्टर	इस एनएसडीजी आपूर्तित घटक को होस्ट किया जाएगा । यह घटक एनएसडीजी से पेलोड प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है तथा एनएसडीजी से प्राप्त पेलोड को अव्यवस्थित करता है । यह घटक एनएसडीजी के द्वारा ई बिज़ पोर्टल के लिए विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को भेजने के लिए उत्तरदायी है । इस जेनरिक कनेक्टर को वैब सेवा के रुप में होस्ट किया जाएगा जहां इसे एक्सिस आर्किव के रुप में लगाया

		गया होगा ।
4.	ई बिज़ विशिष्ट एसपी एडॉप्टर	यह ई बिज़ घटक को ई बिज़ एसपी एडॉप्टर और विभाग के आईटी अनुप्रयोग के मध्य एक मध्यस्थ के रुप में विभाग के आईटी अवसंरचना अधिनियमों में रखा जाएग । यह एनएसडीजी से संदेश प्राप्त करता है और इसे लॉजिकल क्यू में विभाग के आईटी अनुप्रयोग के लिए स्वीकार्य फार्मेट में पोस्ट करता है ।
5.	ई बिज़ जेनरिक एसपी एडॉप्टर	इस ई बिज़ घटक को विभाग में लगाया जाएगा । यह घटक एनएसडीजी एसपी जेनरिक एडॉप्टर का एनएसडीजी से प्राप्त पेलोड्स के व्यवस्थित/अव्यवस्थित करने के प्रयोग में लाया जाता है । यदि ई बिज़ पोर्टल से वृहत पेलोड होता है तो यह घटक एनएसडीजी के द्वारा मार्गस्थ विभाजित हिस्सों के लिए वापस विभागों से प्राप्त प्रति क्रियाओं को फार्मेटिंग/भेजने के लिए भी उतरदायी है इसके एनएसडीजी आपूर्तित जेनरिक एसपी एडॉप्टर के बहुप्रयोग है ।
6.	सूचना प्राप्ति और निर्गत क्यूज़	विभागों में लगे विभागीय अनुप्रयोग और ई बिज़ घटकों के बीच आंकड़ा आदान-प्रदान लॉजिकल क्यूज़ के द्वारा होता है । ये क्यूज़ एक आंकड़ा आधार का उपयोग करते हुए, जो जेएमएस क्यूज़ अथवा लॉजिकल क्यूज़ हो सकते हैं, अनुरुपण करते हैं । क्यूज़ का वास्तविक कार्यान्वयन विभाग के परामर्श से निर्णित होगा ।
7.	व्यापार लॉजिक घटक	यह घटक विभाग के आईटी अनुप्रयोग का एक भाग (एक विस्तार) है । यह विभाग के अनुप्रयोग में ई बिज़ पोर्टल से अनुरोधों/प्रतिक्रियाओं का भण्डारण करने के लिए उत्तरदायी है । यह घटक विभागीय अनुप्रयोग को इन क्षमताएं होने के लिए वृद्धि करने की अपेक्षा होती है । संदेश कर सटीक फॉर्मेट का विभाग और ई बिज़ दल के मध्य आदान-प्रदान किए जाने की अपेक्षा होती है उसे तकनीकी डिजायन के भाग के रुप में भेजा जाएगा ।

ई बिज़ गेटवे घटकों का जो विवरण उपर दिया गया है (मद 3-6) विभाग के आंकड़ा केन्द्र पर होस्ट किए जाने की अपेक्षा होगी जबकि व्यापार लॉजिक घटकों (मद 7) को विभाग के विद्यमान आईटी अवसंरचना पर को-होस्ट किया जाएगा ।

स्तर 2 एकीकरण

स्तर-2 एकीकरण में सेवाओं पर विचार किया गया है जहां उद्यमी से सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए विभाग में आईटी प्रणाली नहीं है । स्तर-2 सेवा में ई बिज़ संसाधन हेतु बैकएंड प्रणाली कार्यान्वित करता है । ई बिज़ विभागीय पोर्टल विभागीय प्रयोक्ता को ई बिज़ के माध्यम से प्राप्त आवेदनों, उनके जांच और संसाधित करना अनुमेय करता है ।

कार्यात्मक सिंहावलोकन

निम्नलिखित आकृति/रेखाचित्र स्तर-2 एकीकरण के कार्यात्मक सिंहावलोकन का विवरण देता है ।

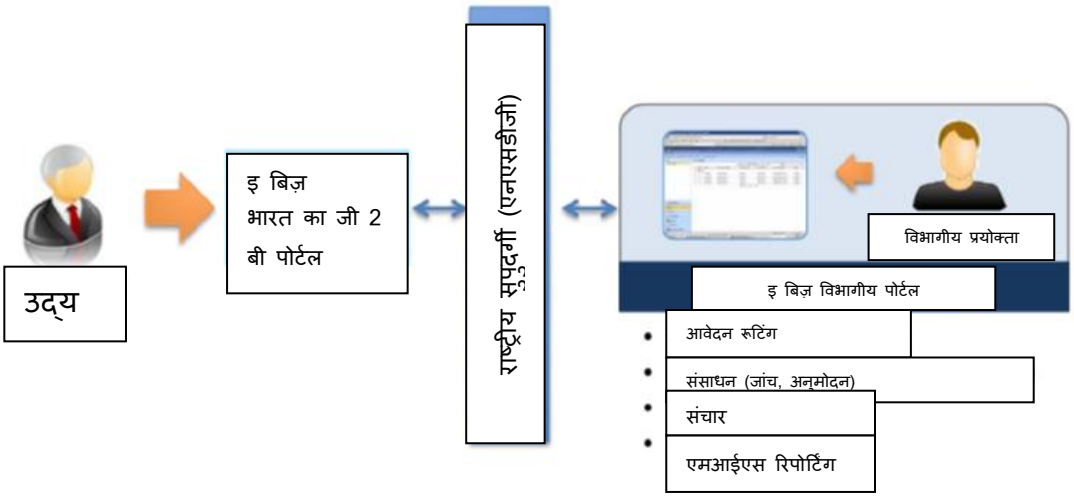

1. उद्यमी ई बिज़ पोर्टल पर अनुलग्नकों के साथ संबंधित इ फॉर्म में सेवा हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता है । ई बिज़, विभाग द्वारा निर्धारित सांविधिक फॉर्म के लिए समान रुप से कार्यात्मक इ फॉर्म तैयार करेगा ।
2. उद्यमी सेवा से संबद्ध शुल्क को ई बिज़ पोर्टल के माध्यम से एक ई बिज़ पोर्टल के साथ एकीकृत इलेक्ट्रानिकी भुगतान गेटवे में प्रेषित करता है ।
3. एक बार प्रस्तुत करने पर ई बिज़ प्रणाली संसाधन हेतु विभाग के उपयुक्त कार्यालय को आवेदन भेज देती है ।
4. विभागीय प्रयोक्ता अनुरोध संसाधन हेतु ई बिज़ विभागीय पोर्टल का प्रयोग करते हैं ।

5. विभागीय प्रयोक्ता आवेदन फॉर्म की जांच, सेवा द्वारा भुगतान की गयी फीस का सत्यापन करने में तथा किसी कमी की स्थिति में आवेदक को भी उसकी सूचना देने में समर्थ होगा ।
6. ई बिज़ विभागीय पोर्टल स्वत: विभाग द्वारा यथा निर्धारित कार्य प्रवाह के अनुसार उचित भूमिकाओं के माध्यम से आवेदन को भेज देगा ।

संसाधन की प्रगति पर ई बिज़ विभागीय पोर्टल स्थिति संबंधी संदेश वापस आवेदक को भेजता है ý